



भारतीय रेडक्रॉस सोसायटी
जिला शाखा - मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर (छ0ग0)



क्रमांक /30..... / भा.रे.सो / जि-शा.MCB / 2025-26

मनेन्द्रगढ़ दिनांक 02/05/25

-:प्रेस विज्ञापित / जिला एमसीबी वेबसाइट में अपलोड:-

भारतीय रेडक्रॉस सोसायटी, राज्य शाखा रायपुर छत्तीसगढ़ के पत्र क्र. /इरेसो/छगराशा/2024-25/1500 रायपुर, दिनांक - 10/01/2025 के परिपालन में, नवीन जिला-मनेन्द्रगढ़-भरतपुर-चिरमिरी छ0ग0 में 01 मोबाईल मॅडिकल यूनिट (MMU) चलित वाहन के संचालन हेतु मानव संसाधन की भर्ती प्रक्रिया कार्यालीन विज्ञापन पत्र क्रमांक/10/भा.रे.क्र.सो/जि.शा.एम.सी.बी/2025 मनेन्द्रगढ़, दिनांक 13.03.2025 के माध्यम से गठित चयन समिति द्वारा, भर्ती के समस्त चयन प्रक्रिया के चरण पूर्ण कर, साक्षात्कार उपरान्त अन्तिम चयन सूची एवं प्रतीक्षा सूची के आधार पर मोबाईल मॅडिकल यूनिट (MMU) चलित वाहन के संचालन हेतु चयनित अभ्यर्थियों का कार्यादेश जारी किया जाता है।

उक्त संबंध में कार्यादेश का अवलोकन हेतु मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर के वेबसाइट www.manendragarh-chirmiri-bharatpur.cg.gov.in पर किया जा सकता है।

(डी.राहुल वैकट) आई.ए.एस
अध्यक्ष सह कलेक्टर
भारतीय रेडक्रॉस सोसायटी
जिला शाखा - एम0सी0बी (छ0ग0)

पृ.क्रमांक /30-31..... / भा.रे.सो / जि-शा.MCB / 2025-26
प्रतिलिपि :-

मनेन्द्रगढ़, दिनांक:- 02/05/25

1. मुख्य कार्यपालन अधिकारी सह महासचिव भारतीय रेडक्रॉस सोसायटी छत्तीसगढ़ राज्य शाखा की ओर सादर सूचनार्थ।
2. सचिव सह मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, भारतीय रेडक्रॉस सोसायटी, जिला शाखा - एम0सी0बी (छ0ग0) की ओर सूचनार्थ।
3. चेयरमेन (श्री शैलेश कुमार जैन), भारतीय रेडक्रॉस सोसायटी, जिला शाखा - एम0सी0बी (छ0ग0) की ओर सूचनार्थ।
4. कार्यालयीन प्रति।

(डी.राहुल वैकट) आई.ए.एस
अध्यक्ष सह कलेक्टर
भारतीय रेडक्रॉस सोसायटी
जिला शाखा - एम0सी0बी (छ0ग0)



कार्यालय भारतीय रेडक्रॉस सोसायटी

जिला-मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर (छत्तीसगढ़)

E-Mail – cmhomcb@gmail.com & dpnumcb@gmail.com



क्रमांक / 33 / भा.रे.क्र.सो / जि.शा.एम.सी.बी / 2025

मनेन्द्रगढ़, दिनांक 02/05/25

//आदेश//

भारतीय रेडक्रॉस सोसाइटी, राज्य शाखा रायपुर छत्तीसगढ़ द्वारा जिला शाखा – मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर (छ0ग0) हेतु 01 मोबाइल मेडिकल यूनिट (MMU) चलित वाहन के संचालन के लिए नीचे दर्शित पदों पर अस्थायी भर्ती किये जाने हेतु कार्यालयीन विज्ञापन पत्र क्रमांक क्रमांक/10/भा.रे.क्र.सो/जि.शा.एम.सी.बी/2025 मनेन्द्रगढ़, दिनांक 13/03/2025 द्वारा प्रकाशित विज्ञापन के आधार पर साक्षात्कार में प्राप्त उम्मीदवारों के आवेदनों का चयन समिति द्वारा परीक्षण पश्चात् उनकी योग्यता एवं निर्धारित मापदण्ड योग्य सह उपयुक्त पाये जाने तथा साक्षात्कार के प्राप्तांक के आधार पर व एकांकी पद होने के फलस्वरूप गठित चयन समिति द्वारा किए गये अनुशंसा के आधार पर निम्नांकित चयनित अभ्यर्थियों को स्टॉफ नर्स (अस्थायी) के पद पर एकमुश्त मानदेय 25000/- रु0 (पच्चीस हजार रुपये) प्रतिमाह की दर से अस्थायी नियुक्ति कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला-मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर (छ0ग0) में कार्यभार ग्रहण तिथि से निम्नांकित सेवा शर्तों के अधीन उनके नाम के सम्मुख कॉलम-5 में दर्शित स्थल में अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त नियुक्त किया जाता है।

क0	अभ्यर्थी/पिता का नाम	पत्र व्यवहार का पूर्ण पता	चयनित वर्ग	पदस्थापना स्थल
1	2	3	4	5
1	कु0 हेमा सिंह पिता श्री राम कुमार सिंह	हीरागिर वार्ड नं. 15 हल्दीबाड़ी कोरिया कॉलरी, जिला-एम.सी.बी. (छ0ग0)	अना0	भारतीय रेडक्रॉस सोसाइटी, मोबाइल मेडिकल यूनिट (MMU) चलित वाहन मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर (छ0ग0)

नियुक्ति सह सेवा शर्त:-

- चयनित अभ्यर्थियों को अस्थायी नियुक्ति आदेश जारी तिथि से 10 दिवस के भीतर समस्त आवश्यक दस्तावेजों की सत्यापित छायाप्रति सहित कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला-मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर (छ0ग0) में उपस्थिति देकर पदस्थापना स्थल पर कार्य ग्रहण करना अनिवार्य होगा। समयावधि में कार्यग्रहण नहीं करने पर संबंधित की अस्थायी नियुक्ति स्वमेव निरस्त मानकर उनके स्थान में प्रतीक्षा सूची से अन्य उम्मीदवार का नियुक्त किया जावेगा, जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं की होगी।
- अस्थायी पर नियुक्त व्यक्ति छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) अधिनियम 1965 से शासित होंगे।
- छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (अस्थायी नियुक्ति) नियम 2012 के कंडिका 15 की (अन्य शर्तें) लागू होगी।
- अस्थायी मानदेय:- अस्थायी सेवा अवधि के दौरान प्रतिमाह एकमुश्त मानदेय प्रावधानित राशि अनुसार देय होगा, इसके अतिरिक्त किसी अन्य प्रकार का भत्ता/सुविधा देय नहीं होगा।
- उपरोक्त अस्थायी अवधि 1 वर्ष के लिए होगी, जो की पूर्णतः अस्थायी होगी। कार्य मूल्यांकन संतोषजनक होने की स्थिति में कार्य प्रगति अनुसार उक्त सेवा अवधि वृद्धि की जा सकती है। नियम भर्ती किये जाने पर अस्थायी पद स्वतः निरस्त हो जायेंगे।
- अस्थायी रूप से नियुक्त कर्मचारी को प्रत्येक कैलेंडर वर्ष में 30 दिनों की आकस्मिक अवकाश तथा 03 दिनों के ऐच्छिक अवकाश की पात्रता होगी। अतः प्रस्तुति अवकाश की सीमा सामान्य प्रशासन विभाग में जारी आदेशानुसार 180 दिन की होगी।
- चयनित अभ्यर्थियों द्वारा कार्यभार ग्रहण करते समय/कार्यभार ग्रहण करने के एक माह के भीतर जिला मेडिकल बोर्ड मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर से स्वास्थ्य उपयुक्तता प्रमाण-पत्र (मेडिकल फिटनेस प्रमाण-पत्र) प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा।
 - 7.1 प्रथम नियुक्ति के प्रथम छः महीने पश्चात ही प्रसूति अवकाश की पात्रता होगी।
 - 7.2 अनुबंध के समय अभ्यर्थियों को स्वप्रमाणित निम्न दस्तावेजों की छायाप्रति के साथ मूल दस्तावेज भी



कार्यालय भारतीय रेडक्रॉस सोसायटी

जिला-मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर (छत्तीसगढ़)

E-Mail – cmhombcb@gmail.com & dpmumbcb@gmail.com



प्रमाणीकरण हेतु प्रस्तुत करने होंगे –

- हाईस्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा (10+2)की अंकसूची।
 - संबंधित पद हेतु निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता की अंकसूची।
 - संबंधित पद हेतु निर्धारित वांछनीय शैक्षणिक योग्यता की अंकसूची।
 - मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से प्राप्त स्नातक/स्नाकोत्तर उपाधि/प्रमाण-पत्र।
 - सक्षम अधिकारी द्वारा जारी वैध जाति प्रमाण-पत्र, निवास प्रमाण-पत्र।
 - कार्य अनुभव प्रमाण-पत्र।
 - विशेष छूट हेतु प्रमाण-पत्र।
8. कार्यभार ग्रहण करने के पश्चात् नियुक्त कर्मचारी को पदस्थापना स्थल पर ही किसी भी परिस्थिति में स्वयं का निवास स्थल बना कर रहना होगा, मुख्यालय के अतिरिक्त अन्यत्र स्थानों में आना-जाना अनुमति नहीं होगा तथा ऐसा पाये जाने पर सेवायें समाप्त की जा सकेंगी।
 9. अस्थायी अवधि के दौरान दोनों पक्षों में से किसी एक पक्ष द्वारा एक माह की पूर्व सूचना या उसकी एवज में एक माह का वेतन देकर अस्थायी नियुक्ति समाप्त की जा सकेंगी। इसी तरह चयनित अभ्यर्थी को त्यागपत्र देने के पूर्व एक माह पहले सूचना दिया जाना होगा, अन्यथा उनके द्वारा एक माह का वेतन जमा किया जाएगा।
 10. अस्थायी पद पर चयनित अभ्यर्थियों की पदस्थापना स्थल अस्थानांतरणीय होगा तथा नियुक्ति आदेशानुसार पदस्थापना स्थल में उपस्थिति देना अनिवार्य होगा। दिये गये निर्धारित तिथि/समय व पदस्थापना स्थल में अपनी उपस्थिति नहीं देने की स्थिति में चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति स्वः निरस्त हो जायेगी।
 - 11- प्रत्येक त्रैमास में कार्य प्रगति प्रतिवेदन संबंधित नोडल अधिकारी/इंचार्ज द्वारा कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर (छ0ग0) को प्रेषित करेंगे तथा अस्थायी नियुक्ति अधिकारी /कर्मचारी का प्रतिवर्ष Performance Appraisal Report तैयार किया जावेगा। ताकि आगामी वर्ष हेतु पुनः अस्थायी नियुक्ति दी जानी हो तो इसके आधार पर कार्य का मूल्यांकन हो सके तथा कार्य संतोषप्रद पाए जाने पर ही अस्थायी अवधि में वृद्धि की जा सकेंगी।
 12. चयनित समस्त अभ्यर्थियों को अपनी उपस्थिति देने हेतु नियुक्ति आदेश की छायाप्रति एवं वर्तमान में शासकीय सेवा एवं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अर्न्तगत कार्यरत नहीं होने के संबंध में शपथ-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
 13. अस्थायी सेवा के दौरान चयनित अभ्यर्थी कदाचरण, अनुशासनहीनता व कार्य संतोषप्रद न पाये जाने की स्थिति में छ.ग. सिविल सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 07 शासित होंगे।
 14. अस्थायी अधिकारी /कर्मचारियों को शासन के समस्त राष्ट्रीय कार्यक्रमों के संचालन में नियंत्रणकर्ता अधिकारी के निर्देशानुसार सक्रिय रूप से भाग लेना होगा। ऐसे कार्यक्रमों में भाग नहीं लेना कदाचरण माना जायेगा।
 15. चयनित अस्थायी अधिकारी/कर्मचारी कलेक्टर एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर (छ0ग0) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी के प्रशासकीय नियंत्रण के अधीन होगा।
 16. विशेष आरक्षण आर्हता रखने वाले (निःशक्तजन/भूतपूर्व सैनिक) अभ्यर्थियों को सक्षम अधिकारी द्वारा जारी संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
 17. उपरोक्त अनुबंध भारतीय रेडक्रॉस सोसाइटी, राज्य शाखा रायपुर, छत्तीसगढ़ द्वारा कलेक्टर सह अध्यक्ष भारतीय रेडक्रॉस सोसाइटी, जिला शाखा मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर (छ0ग0) के नामांकित प्राधिकृत अधिकारी एवं अस्थायी कर्मचारी के मध्य निष्पादित किया जायेगा।
 18. अनुबंध के निष्पादन पर होने वाला व्यय चयनित अभ्यर्थी द्वारा वहन किया जायेगा। चयनित अभ्यर्थी को उसकी पदस्थापना के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से अस्थायी में नियुक्त माना जायेगा।
 19. अस्थायी अवधि के दौरान नियुक्त अधिकारी/कर्मचारी किसी निजी चिकित्सालय/केन्द्रों में अपनी सेवाएं नहीं दे सकते हैं।
 - 20- कार्यभार ग्रहण करने के पश्चात् नियुक्त अधिकारी/कर्मचारी को HRMIS पोर्टल में 07 दिवस के अंदर अपनी जानकारी प्रविष्टि एवं अद्यतन कराया जाना होगा। इसके पश्चात ही मासिक मानदेय HRMIS पोर्टल के माध्यम



कार्यालय भारतीय रेडक्रॉस सोसायटी

जिला-मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर (छत्तीसगढ़)

E-Mail – cmhomcb@gmail.com & dpmumcb@gmail.com



से आहरण किया जाएगा।

21. चयनित अधिकारी/कर्मचारी द्वारा कार्य उपस्थिति के समय नियमानुसार राशि रुपये 50/- के स्टाम्प पेपर पर अनुबंध करते हुए स्वयं का फोटो, बैंक खाते की छायाप्रति, आधार कार्ड की छायाप्रति एवं समस्त दस्तावेजों की स्वहस्ताक्षरित छायाप्रति के साथ कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला-मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर (छ0ग0) में जमा किया जाना अनिवार्य होगा।
22. सेवा समाप्ति पश्चात अस्थायी शासकीय सेवक के रूप में दी गई सेवा अवधि हेतु किसी प्रकार की पेंशन, उपादान, मृत्यु लाभ व अनुकम्पा आदि की पात्रता नहीं होगी।
23. चयन उपरान्त यदि अभ्यर्थियों से संबंधित कोई भी दी गई जानकारी असत्य पायी जाती है, तो नियुक्ति समाप्त कर दी जावेगी तथा संबंधित के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाही की जावेगी।
24. उपभोक्तानुसार समस्त नियमों एवं समय-समय पर शासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों एवं नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा, अन्यथा उनके विरुद्ध आदेशों/निर्देशों का उल्लंघन मानते हुये अनुशासनात्मक कार्रवाही कर सेवा समाप्त की जा सकेगी।
25. यह नियुक्ति माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली के एस0एल0पी0 (सी0) क्रमांक 19668/2022 का अंतिम आदेश के अधधीन होगी।

इस नियुक्ति में आरक्षण संबंधी प्रावधानों का पालन किया गया है।

कलेक्टर सह अध्यक्ष
भारतीय रेडक्रॉस सोसायटी जिला शाखा
जिला-मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर. (छ0ग0)



कार्यालय भारतीय रेडक्रॉस सोसायटी

जिला-मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर (छत्तीसगढ़)

E-Mail – cmhomcb@gmail.com & dpnumcb@gmail.com



क्रमांक /34...../भा.रे.क्र.सो/जि.शा.एम.सी.बी/2025

मनेन्द्रगढ़, दिनांक ..02/05/25..

//आदेश//

भारतीय रेडक्रॉस सोसाइटी, राज्य शाखा रायपुर छत्तीसगढ़ द्वारा जिला शाखा – मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर (छ0ग0) हेतु 01 मोबाइल मेडिकल यूनिट (MMU) चलित वाहन के संचालन के लिए नीचे दर्शित पदों पर अस्थायी भर्ती किये जाने हेतु कार्यालयीन विज्ञापन पत्र क्रमांक क्रमांक/10/भा.रे.क्र.सो/जि.शा.एम.सी.बी/2025 मनेन्द्रगढ़, दिनांक 13/03/2025 द्वारा प्रकाशित विज्ञापन के आधार पर साक्षात्कार में प्राप्त उम्मीदवारों के आवेदनों का चयन समिति द्वारा परीक्षण पश्चात् उनकी योग्यता एवं निर्धारित मापदण्ड योग्य सह उपयुक्त पाये जाने तथा साक्षात्कार के प्राप्तों के आधार पर व एकांकी पद होने के फलस्वरूप गठित चयन समिति द्वारा किए गये अनुशंसा के आधार पर निम्नांकित चयनित अभ्यर्थियों को लैब टेक्निशियन (अस्थायी) के पद पर एकमुश्त मानदेय 18000/- रु0 (अठ्ठारह हजार रुपये) प्रतिमाह की दर से अस्थायी नियुक्ति कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला-मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर (छ0ग0) में कार्यभार ग्रहण तिथि से निम्नांकित सेवा शर्तों के अधीन उनके नाम के सम्मुख कॉलम-5 में दर्शित स्थल में अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त नियुक्त किया जाता है।

क्र0	अभ्यर्थी/पिता का नाम	पत्र व्यवहार का पूर्ण पता	चयनित वर्ग	पदस्थापना स्थल
1	2	3	4	5
1	पार्वती जायसवाल श्री रोहिणी प्रसाद जायसवाल	वार्ड क्रमांक-22, केवट मोहल्ला, आमाखेरवा, पो. -मनेन्द्रगढ़, जिला-एम.सी.बी. छ.ग.	अना0	भारतीय रेडक्रॉस सोसाइटी, मोबाइल मेडिकल यूनिट (MMU) चलित वाहन मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर (छ0ग0)

नियुक्ति सह सेवा शर्तें:-

- चयनित अभ्यर्थियों को अस्थायी नियुक्ति आदेश जारी तिथि से 10 दिवस के भीतर समस्त आवश्यक दस्तावेजों की सत्यापित छायाप्रति सहित कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला-मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर (छ0ग0) में उपस्थिति देकर पदस्थापना स्थल पर कार्य ग्रहण करना अनिवार्य होगा। समयावधि में कार्यग्रहण नहीं करने पर संबंधित की अस्थायी नियुक्ति स्वयं निरस्त मानकर उनके स्थान में प्रतीक्षा सूची से अन्य उम्मीदवार का नियुक्त किया जावेगा, जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं की होगी।
- अस्थायी पर नियुक्त व्यक्ति छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) अधिनियम 1965 से शासित होंगे।
- छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (अस्थायी नियुक्ति) नियम 2012 के कंडिका 15 की (अन्य शर्तें) लागू होगी।
- अस्थायी मानदेय:- अस्थायी सेवा अवधि के दौरान प्रतिमाह एकमुश्त मानदेय प्रावधानित राशि अनुसार देय होगा, इसके अतिरिक्त किसी अन्य प्रकार का भत्ता/सुविधा देय नहीं होगा।
- उपरोक्त अस्थायी अवधि 1 वर्ष के लिए होगी, जो की पूर्णतः अस्थायी होगी। कार्य मूल्यांकन संतोषजनक होने की स्थिति में कार्य प्रगति अनुसार उक्त सेवा अवधि वृद्धि की जा सकती है। नियम भर्ती किये जाने पर अस्थायी पद स्वतः निरस्त हो जायेंगे।
- अस्थायी रूप से नियुक्त कर्मचारी को प्रत्येक कैलेंडर वर्ष में 30 दिनों की आकस्मिक अवकाश तथा 03 दिनों के ऐच्छिक अवकाश की पात्रता होगी। अतः प्रस्तुति अवकाश की सीमा सामान्य प्रशासन विभाग में जारी आदेशानुसार 180 दिन की होगी।
- चयनित अभ्यर्थियों द्वारा कार्यभार ग्रहण करते समय/कार्यभार ग्रहण करने के एक माह के भीतर जिला मेडिकल बोर्ड मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर से स्वास्थ्य उपयुक्तता प्रमाण-पत्र (मेडिकल फिटनेस प्रमाण-पत्र) प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा।
 - 7.1 प्रथम नियुक्ति के प्रथम छः महीने पश्चात ही प्रसूति अवकाश की पात्रता होगी।
 - 7.2 अनुबंध के समय अभ्यर्थियों को स्वप्रमाणित निम्न दस्तावेजों की छायाप्रति के साथ मूल दस्तावेज भी



कार्यालय भारतीय रेडक्रॉस सोसायटी

जिला-मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर (छत्तीसगढ़)

E-Mail – cmhomcb@gmail.com & dpmumcb@gmail.com



प्रमाणीकरण हेतु प्रस्तुत करने होंगे –

- हाईस्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा (10+2)की अंकसूची।
 - संबंधित पद हेतु निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता की अंकसूची।
 - संबंधित पद हेतु निर्धारित वांछनीय शैक्षणिक योग्यता की अंकसूची।
 - मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से प्राप्त स्नातक/स्नाकोत्तर उपाधि/प्रमाण-पत्र।
 - सक्षम अधिकारी द्वारा जारी वैध जाति प्रमाण-पत्र, निवास प्रमाण-पत्र।
 - कार्य अनुभव प्रमाण-पत्र।
 - विशेष छूट हेतु प्रमाण-पत्र।
8. कार्यभार ग्रहण करने के पश्चात् नियुक्त कर्मचारी को पदस्थापना स्थल पर ही किसी भी परिस्थिति में स्वयं का निवास स्थल बना कर रहना होगा, मुख्यालय के अतिरिक्त अन्यत्र स्थानों में आना-जाना अनुमति नहीं होगा तथा ऐसा पाये जाने पर सेवायें समाप्त की जा सकेंगी।
 9. अस्थायी अवधि के दौरान दोनों पक्षों में से किसी एक पक्ष द्वारा एक माह की पूर्व सूचना या उसकी एवज में एक माह का वेतन देकर अस्थायी नियुक्ति समाप्त की जा सकेंगी। इसी तरह चयनित अभ्यर्थी को त्यागपत्र देने के पूर्व एक माह पहले सूचना दिया जाना होगा, अन्यथा उनके द्वारा एक माह का वेतन जमा किया जाएगा।
 10. अस्थायी पद पर चयनित अभ्यर्थियों की पदस्थापना स्थल अस्थानांतरणीय होगा तथा नियुक्ति आदेशानुसार पदस्थापना स्थल में उपस्थिति देना अनिवार्य होगा। दिये गये निर्धारित तिथि/समय व पदस्थापना स्थल में अपनी उपस्थिति नहीं देने की स्थिति में चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति स्वः निरस्त हो जायेगी।
 - 11- प्रत्येक त्रैमास में कार्य प्रगति प्रतिवेदन संबंधित नोडल अधिकारी/इंचार्ज द्वारा कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर (छ0ग0) को प्रेषित करेंगे तथा अस्थायी नियुक्ति अधिकारी/कर्मचारी का प्रतिवर्ष Performance Appraisal Report तैयार किया जावेगा। ताकि आगामी वर्ष हेतु पुनः अस्थायी नियुक्ति दी जानी हो तो इसके आधार पर कार्य का मूल्यांकन हो सके तथा कार्य संतोषप्रद पाए जाने पर ही अस्थायी अवधि में वृद्धि की जा सकेंगी।
 12. चयनित समस्त अभ्यर्थियों को अपनी उपस्थिति देने हेतु नियुक्ति आदेश की छायाप्रति एवं वर्तमान में शासकीय सेवा एवं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अर्न्तगत कार्यरत नहीं होने के संबंध में शपथ-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
 13. अस्थायी सेवा के दौरान चयनित अभ्यर्थी कदाचरण, अनुशासनहीनता व कार्य संतोषप्रद न पाये जाने की स्थिति में छ.ग. सिविल सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 07 शासित होंगे।
 14. अस्थायी अधिकारी/कर्मचारियों को शासन के समस्त राष्ट्रीय कार्यक्रमों के संचालन में नियंत्रणकर्ता अधिकारी के निर्देशानुसार सक्रिय रूप से भाग लेना होगा। ऐसे कार्यक्रमों में भाग नहीं लेना कदाचरण माना जायेगा।
 15. चयनित अस्थायी अधिकारी/कर्मचारी कलेक्टर एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर (छ0ग0) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी के प्रशासकीय नियंत्रण के अधीन होगा।
 16. विशेष आरक्षण आर्हता रखने वाले (निःशक्तजन/भूतपूर्व सैनिक) अभ्यर्थियों को सक्षम अधिकारी द्वारा जारी संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
 17. उपरोक्त अनुबंध भारतीय रेडक्रॉस सोसाइटी, राज्य शाखा रायपुर, छत्तीसगढ़ द्वारा कलेक्टर सह अध्यक्ष भारतीय रेडक्रॉस सोसाइटी, जिला शाखा मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर (छ0ग0) के नामांकित प्राधिकृत अधिकारी एवं अस्थायी कर्मचारी के मध्य निष्पादित किया जायेगा।
 18. अनुबंध के निष्पादन पर होने वाला व्यय चयनित अभ्यर्थी द्वारा वहन किया जायेगा। चयनित अभ्यर्थी को उसकी पदस्थापना के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से अस्थायी में नियुक्त माना जायेगा।
 19. अस्थायी अवधि के दौरान नियुक्त अधिकारी/कर्मचारी किसी निजी चिकित्सालय/केन्द्रों में अपनी सेवाएं नहीं दे सकते हैं।
 - 20- कार्यभार ग्रहण करने के पश्चात् नियुक्त अधिकारी/कर्मचारी को HRMIS पोर्टल में 07 दिवस के अंदर अपनी जानकारी प्रविष्टि एवं अद्यतन कराया जाना होगा। इसके पश्चात ही मासिक मानदेय HRMIS पोर्टल के माध्यम



कार्यालय भारतीय रेडक्रॉस सोसायटी

जिला-मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर (छत्तीसगढ़)

E-Mail – cmhomcb@gmail.com & dpmumcb@gmail.com



से आहरण किया जाएगा।

21. चयनित अधिकारी/कर्मचारी द्वारा कार्य उपस्थिति के समय नियमानुसार राशि रुपये 50/- के स्टाम्प पेपर पर अनुबंध करते हुए स्वयं का फोटो, बैंक खाते की छायाप्रति, आधार कार्ड की छायाप्रति एवं समस्त दस्तावेजों की स्वःहस्ताक्षरित छायाप्रति के साथ कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला-मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर (छ0ग0) में जमा किया जाना अनिवार्य होगा।
22. सेवा समाप्ति पश्चात अस्थायी शासकीय सेवक के रूप में दी गई सेवा अवधि हेतु किसी प्रकार की पेंशन, उपादान, मृत्यु लाभ व अनुकम्पा आदि की पात्रता नहीं होगी।
23. चयन उपरान्त यदि अभ्यर्थियों से संबंधित कोई भी दी गई जानकारी असत्य पायी जाती है, तो नियुक्ति समाप्त कर दी जावेगी तथा संबंधित के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाही की जावेगी।
24. उपभोक्तानुसार समस्त नियमों एवं समय-समय पर शासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों एवं नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा, अन्यथा उनके विरुद्ध आदेशों/निर्देशों का उल्लंघन मानते हुये अनुशासनात्मक कार्रवाही कर सेवा समाप्त की जा सकेगी।
25. यह नियुक्ति माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली के एस0एल0पी0 (सी0) क्रमांक 19668/2022 का अंतिम आदेश के अधधीन होगी।

इस नियुक्ति में आरक्षण संबंधी प्रावधानों का पालन किया गया है।

कलेक्टर सह अध्यक्ष
भारतीय रेडक्रॉस सोसायटी जिला शाखा
जिला-मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर. (छ0ग0)